न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री जगदीश नारायण मथुरिया, आर. ए. एस.

अपील संख्या :– 07 / 14 (223 आर.टी.एक्ट)

उनवान

1. बृजो
2. रग्गो
3. कलुआ
4. नारायन

} पुत्रगण रमन जाति कडेरा निवासी ग्राम सामई तहसील डीग जिला भरतपुर।

.....अपीलांट / प्रतिवादीगण।

बनाम

1. मनोहरलाल
2. जगदेव

} पुत्र स्व0 तेजपाल जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम सामई तह0 डीग जिला भरतपुर।

3. शान्ति
4. मिथलेश
5. सत्यवती
6. कमला
7. साधना

} पुत्रियॉ स्व0 तेजपाल जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम सामई तह0 डीग जिला भरतपुर।

8. रासबिहारी
9. हरदेव
10. उमाकान्त
11. हरस्वरूप

} पुत्र स्व0 जीवनलाल जाति ब्राहम्ण ग्राम सामई तह0 डीग जिला भरतपुर।

12. मुस0 सोनदेई पत्नि स्व0 जीवनलाल जातियान ब्राहम्ण निवासी ग्राम सामई तहसील डीग जिला भरतपुर(मृतक)
13. सुशीला पुत्री स्व0 जीवनलाल पत्नि परमानन्द जाति ब्राहम्ण हाल निवासी ग्राम भगौसा जिला मथुरा उत्तर प्रदेश।
14. विसना पुत्री स्व0 जीवनलाल पत्नि देवदत्त जाति ब्राहम्ध हाल निवासी ग्राम बसई तहसील व जिला मथुरा उत्तर प्रदेश।
15. सुभद्रा पुत्री स्व0 जीवनलाल पत्नि हरमोहन जाति ब्राहम्ण हाल निवासी ग्राम भगौसा जिला मथुरा उत्तर प्रदेश।
16. मदनलाल पुत्र कन्हैया
17. मीरा वेवा मोहनश्याम पुत्र छाजूराम
18. जीतेन्द्र पुत्र स्व0 मोहनश्याम
19. हेमलता पुत्री स्व0 मोहनश्याम

} जाति ब्राहम्ण, ग्राम सामई तह0 डीग जिला भरतपुर।

20. लक्ष्मीकान्त
21. घनश्याम
22. दाऊदयाल

पुत्रगण मदन जाति कडेरा निवासी ग्राम सामई तह0 डीग जिला भरतपुर।

.....असल रैस्पो0/वादीगण

23. ढकेली पत्नि स्व0 मदन जाति कडेरा निवासी ग्राम सामई तहसील डीग
24. कमल सिंह
25. विसन
26. निरोती
27. जगमोहन

पुत्र मदन जाति कडेरा नि0 ग्राम सामई तहसील डीग जिला भरतपुर।

28. कोमल पुत्री स्व0 मदन पत्नि परषोत्तम जाति कडेरा हाल निवासी मडौली तहसील व जिला भरतपुर।
29. फूलवती पुत्री दुलीचन्द पत्नि पूरन जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम गुन्सारा तहसील कुम्हेर जिला भरतपुर।
30. घनश्याम
31. ओमप्रकाश
32. नैमीचन्द

पुत्र देवकीनन्दन जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम सामई तह0 डीग जिला भरतपुर।

.....रेस्पोंडेंट/प्रतिवादीगण।

अपील संख्या 10/2014 (223 आर0टी0ए0)

उनवान

1. मनोहरलाल
2. जगदेव

पुत्र स्व0 तेजपाल जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम सामई तह0 डीग जिला भरतपुर।

3. शान्ति
4. मिथलेश
5. सत्यवती
6. कमला
7. साधना

पुत्रियॉ स्व0 तेजपाल जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम सामई तह0 डीग जिला भरतपुर।

8. रासबिहारी
9. हरदव
10. उमाकान्त
11. हरस्वरूप

पुत्र स्व0 जीवनलाल जाति ब्राहम्ण ग्राम सामई तह0 डीग जिला भरतपुर।

12. मुस0 सोनदेई पत्नि स्व0 जीवनलाल जातियान ब्राहम्ण निवासी ग्राम सामई तहसील डीग जिला भरतपुर(मृतक)
13. सुशीला पुत्री स्व0 जीवनलाल पत्नि परमानन्द जाति ब्राहम्ण हाल निवासी ग्राम भगौसा जिला मथुरा उत्तर प्रदेश।

14. विसना पुत्री स्व0 जीवनलाल पत्नि देवदत्त जाति ब्राहम्ध हाल निवासी ग्राम बसई तहसील व जिला मथुरा उत्तर प्रदेश।
15. सुभद्रा पुत्री स्व0 जीवनलाल पत्नि हरमोहन जाति ब्राहम्ण हाल निवासी ग्राम भगौसा जिला मथुरा उत्तर प्रदेश।
16. मदनलाल पुत्र कन्हैया
17. मीरा वेवा मोहनश्याम पुत्र छाजूराम
18. जीतेन्द्र पुत्र स्व0 मोहनश्याम
19. हेमलता पुत्री स्व0 मोहनश्याम

जाति ब्राहम्ण, ग्राम सामई तह0 डीग जिला भरतपुर।

20. लक्ष्मीकान्त
21. घनश्याम
22. दाऊदयाल

पुत्रगण मदन जाति कडेरा निवासी ग्राम सामई तह0 डीग जिला भरतपुर।

.....**अपीलाण्ट / वादीगण**

बनाम

1. बृजो
2. रग्गो
3. कलुआ
4. नारायन

पुत्रगण रमन जाति कडेरा निवासी ग्राम सामई तहसील डीग जिला भरतपुर।

5. मदन पुत्र बसन्ता जाति कडेरा निवासी ग्राम सामई तहसील डीग जिला भरतपुर।
   - 5 / 1. ढकेली विधवा मदन
   - 5 / 2. कमल
   - 5 / 3. विसन
   - 5 / 4. निरोती
   - 5 / 5. जगमोहन

   पिसरान मदन जाति कडेरा निवासी सामई तहसील डीग।

   5 / 6. कोमल पत्नी पुरूषोत्तम पुत्री मदन जाति कडेरा हाल निवासी मडौली तहसील व जिला भरतपुर।
6. फूलवती पुत्री दुलीचन्द पत्नी पूरन जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम गुनसारा तहसील कुम्हेर जिला भरतपुर।
7. घनश्याम
8. ओमप्रकाश

पिसरान देवकीनन्दन जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम सामई तह0 डीग।

9. नैमीचन्द पुत्र देवकीनन्दन जाति ब्राहम्ण निवासी भरतपुर कम्पाउण्डर 1 बी 119 हनुमान वाटिका जवाहर नगर भरतपुर।

.....**रैस्पो0 / प्रतिवादी**

अपील अन्तर्गत धारा 223 राज0 काश्त0 अधि0 1955 विरूद्ध आदेश न्याया0 उपखण्ड अधिकारी, डीग दिनांक 20.01.2014 उनवानी तेजपाल बनाम बृजो वगै0 मु0न0 211 / 02

अभिभाषकगण :—

1. वकील श्री नीरज कुमार, बृजो पक्ष उपस्थित।
2. वकील श्री राजेश कुमार गुप्ता, मनोहरलाल पक्ष उपस्थित।

निर्णय दिनांक :— 12.02.2019

1. यह दोनों अपीलें इस न्यायालय में उपखण्ड अधिकारी, डीग के निर्णय दिनांक 20.01.2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी हैं। चूँकि दोनों अपीलो में तथ्य व पक्षकार एक ही हैं, इसलिए दोनों अपीलों को एक ही निर्णय से निस्तारित किया जा रहा है। निर्णय की एक–एक प्रति दोनों पत्रावलियों में शामिल की जावें।

2. संक्षप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण मनोहरलाल वगै0 के पूर्व पुरूष तेजपाल व जीवनलाल वगै0 ने एक वाद वास्ते डिक्लेरेशन व हुक्म इम्तनाई दवामी अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध प्रतिवादीगण बृजो वगै0 इस आशय का पेश किया कि विवादित आराजी साविक खसरा नम्बर 1170/0.12 बीघा वाके ग्राम सामई को वादीगण मनोहरलाल वगै0 के पूर्व पुरूष ने दिनांक 29.09.1970 को मुरारी पुत्र केशव जाति ब्राहम्ण निवासी सामई से जरिये रजिस्टर्ड वयनामा क्रय किया था। इस विक्रय पत्र के आधार पर वादीगण मनाहरलाल वगै0 के पूर्व पुरूष के पक्ष में राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद भी हो गया एवं तभी से वादीगण मनोहरलाल वगै0 के पूर्व पुरूष विवादित आराजी पर बराबर का कब्जा काश्त बतौर खातेदार काश्तकार चला आ रहा है। बन्दोबस्त हाल में साविक खसरा नम्बर 1170 के बदले नवीन खसरा नम्बर 1757/0.29 बनाया गया है जिसके हिस्सा 10/29 पर वादीगण मनोहरलाल वगै0 मुताबिक हिस्सा मजकूर बतौर खातेदार काश्तकार कब्जा चला आ रहा है। किन्तु हाल राजस्व रिकार्ड में खिलाफ कानून व मौका 0.29 है0 पर प्रतिवादीगण बृजो वगै0 के नाम गलत दर्ज किया जा रहा है। जिसमे से 10/29 हिस्से पर वादीगण मनोहरलाल वगै0 खातेदार काश्तकार घोषित करा पाने के अधिकारी हैं। अतः वाद प्रस्तुत कर विवादित आराजी खसरा नम्बर 1757/0.29 के 10/29 हिस्सा पर खातेदार काश्तकार घोषित करने तथा प्रतिवादीगण बृजो वगै0 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने का अनुतोष चाहा। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर, बाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश से आंशिक डिक्री कर दिया। उक्त अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.01.2014 से व्यथित होकर, वादीगण एवं प्रतिवादीगण, दोनों ने परस्पर एक दूसरे के विरूद्ध, वर्तमान दोनों अपीलें क्रमशः 07/2014 उनवान बृजो बनाम मनोहरलाल तथा 10/2014 उनवान मनोहरलाल बनाम बृजो, इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी हैं।

3. अपीलें प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेण्ट व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। दोनों पक्षों के अधिवक्तागणो की बहस सुनी गई।

4. विद्वान अधिवक्ता पक्षकार बृजो वगै0 ने अपील मीमो के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क प्रस्तुत किये कि अपीलाधीन आदेश विधि विरूद्ध एवं पत्रावली के तथ्यों के विपरीत होने के कारण काबिल

खारिजी है। यह है कि प्रकरण में तनकी संख्या 01, 02, 04, 05 को साबित करने का भार वादीगण मनोहरलाल वगै0 पर था, जिन्हें अपने पक्ष में साबित करने में वह कतई असफल रहे हैं। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने तनकी संख्या 01, 02 को आंशिक रूप से विवादित आराजी खसरा नम्बर 1757/0.29 है0 वाके ग्राम सामई के 3/29 हिस्सा तक मनोहरलाल वगै0 के पक्ष में निर्णीत करने में भारी विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय ने तनकी संख्या 01 का निर्णय पारित करते समय इस ओर कतई ध्यान नहीं दिया कि विवादित आराजी हाल खसरा नम्बर 1757/0.29 वाके ग्राम सामई तहसील डीग जिला भरतपुर बाबत् पूर्व में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट, फूलवती ने उनवानी फूलवती बनाम सरकार प्रकरण संख्या 263/86 सुयोग्य अदालत तहत में प्रस्तुत किया था जिस पर प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुये, सुयोग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा फूलवती को हाल विवादित आराजी खसरा नम्बर 1757 पर खातेदार काश्ताकर दर्ज किये जाने के आदेश दिनांक 16.12.1987 को प्रदान किये गये जो आदेश आज तक अस्तित्व मे हैं जिस पर फलवती को राजस्व रिकार्ड में सुयोग्य अदालत तहत के आदेश दिनांक 16.12.1987 की पालना में विधि अनुरूप हाल आराजी मुत0 खसरा नम्बर 1757 पर खातेदार दर्ज किया गया एवं उक्त विवादित आराजी को फूलवती के द्वारा बृजो वगै0 को जरिये रजिस्टर्ड वयनामा दिनांक 29.03.1989 से बेचान कर मौके पर कब्जा सौंप दिया। इसके अतिरिक्त उनका यह भी कथन है कि उक्त निर्णय दिनांक 16.12.1987 की अपील मनोहर लाल वगै0 के पूर्व पुरूष तेजपाल वगै0 द्वारा संभागी आयुक्त महोदय भरतपुर के यहॉ पेश की गयी, जो दिनांक 22.02.2011 को खारिज हो चुकी है। इस प्रकार निर्णय दिनांक 16.12.1987 आज भी अस्तित्व में है एवं फूलवती राजस्व रिकार्ड में विधि पूर्ण खातेदार होती है। बृजो वगै0 को वयनामा दिनांक 29.03.1989 के आधार पर ही विधि पूर्ण से खातेदार दर्ज किया गया है। अतः अधीनस्थ न्यायालय ने तनकी संख्या 01 को आंशिक रूप से मनोहरलाल वगै0 के पक्ष में करने की विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि की है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर, अपीलाधीन आदेश को निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

5. विद्वान अधिवक्ता मनोहरलाल वगै0 ने अपील मीमो के तथ्यों को दौहराते हुए, तर्क प्रस्तुत किये कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश से मनोहरलाल वगै0 के हक में खसरा नम्बर 1757/0.29 है0 के हिस्सा 7/29 बाबत् जो डिक्री नहीं दी है इस हद तक अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि विरूद्ध है तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य, मौखिक साक्ष्य तथा विधिक प्रावधानो के कतई विपरीत है। यह है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय में तनकी संख्या एक के निर्ण में भलीभॉत माना है कि वयनामा के अनुसार साविक खसरा नम्बर 1170/0.12 को खातेदार मुरारीलाल से वादीगण के पूर्वज छाजूराम, जीवन, मदन, तेजपाल ने क्रय किया था तथा जमाबन्दी संवत 2025–28 में छाजूराम, जीवन,मदन, तेजपाल आदि की खातेदारी दर्ज है। भू प्रबन्ध विभाग द्वारा उक्त गत खसरा नम्बर 1170 से हाल खसरा नम्बर 1757/0.29 है0 बनाया जाना स्पष्ट है। इस प्रकार दस्तावेजी साक्ष्य से सभी तथ्यों को अपीलाण्ट ने साबित किया है इसके बाबजूद भू प्रबन्ध विभाग ने अपने अधिकारो से बाहर जाकर हाल खसरा नम्बर 1757 के हिस्सा 10/29 में बृजो वगै0 के नाम खातेदारी गलत तौर पर दर्ज कर दी है। जबकि नक्शा अक्स हाल व गत से स्पष्ट है कि खसरा नम्बर 1757 का 10/29

हिस्सा अपीलाण्ट की क्रय शुदा साविक आराजी खसरा नम्बर 1170 से निर्मित है तथा अपीलाधीन निर्णय में जो 3/29 हिस्सा की डिक्री मनोहरलाल वगै0 को दी गई है उसके स्थान पर 10/29 हिस्सा पर दी जानी चाहिये थी। निर्णय में इसका विवेचन नहीं है कि बाकी 7/29 हिस्सा कहॉ पर गया तथा ना ही बृजो वगै0 ने इस बिन्दु को साबित किया है ऐसी सूरत में तनकी संख्या 01 व 02 हरसूरत में सम्पूर्ण रूप से मनोहरलाल वगै0 के पक्ष में निर्णीत किये जाने योग्य हैं। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर, अपीलाधीन आदेश 7/29 की हद तक निरस्त फरमाये जाने का निवेदन किया।

6. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्ष के तर्को पर मनन किया। पत्रावली से स्पष्ट है कि बृजो वगै0 ने रिकार्डेड खातेदार से विवादित आराजी क्रय की है। तत्कालीन विक्रेता फूलवती के नाम जो आराजी आयी है उसकी अपील मनोहरलाल वगै0 ने समय पर नहीं की थी एवं जो विलम्ब से अपील की गयी वह भी उसके द्वारा समय पर पैरवी नहीं करने के कारण खारिज हो गयी थी। इस प्रकार फूलवती के पक्ष में दिया गया निर्णय अन्तिम हो चुका है। ऐसी दशा में अपील संख्या 07/2014 उनवान बृजो वगै0 बनाम मनोहरलाल स्वीकार योग्य एवं अपील संख्या 10/2014 उनवान मनोहरलाल बनाम बृजो खारिज योग्य प्रकट होती है।

7. अतः आदेश है कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, डीग का निर्णय दिनांक 20.01.2014 अपास्त किया जाता है एवं अपील संख्या 07/2014 उनवान बृजो वगै0 बनाम मनोहरलाल स्वीकार एवं अपील संख्या 10/2014 उनवान मनोहरलाल बनाम बृजो खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर, नम्बर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हों। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ वापस लौटाया जावें।

8. निर्णय आज दिनांक 12.02.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जगदीश नारायण मथुरिया)
आर.ए.एस.
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर